$~56

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सि.वि.(मु.)1846/2023 एवं सि.वि.आ. 58661-58662/2023

निर्णय की तिथि: 10.11.2023

रीनोडेग्रेशिया कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड .....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री सविता मल्होत्रा, अधिवक्ता

बनाम

डायसिस डायग्नोस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा:

%

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

निर्णय

न्या. (मौखिक) मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा:

सि.वि.आ. 58662/2023 (छूट के लिए)

सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन अनुमति है।

तदनुसार, वर्तमान आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।

सि.वि.(मु) 1846/2023 और सि.वि.आ. 58661/2023

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर यह याचिका जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक) -02, दक्षिण पश्चिम, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली ('वाणिज्यिक न्यायालय') द्वारा सिविल वाद (वाणि.) सं. 26/2019 अर्थात

डायसिस डायग्नोस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम रेनडोडेग्रेसिया कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामले में दिनांक 04.08.2023 के पारित आदेश पर आपत्ति जताती है, जिसके तहत वाणिज्यिक न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 ('2015 का अधिनियम') की धारा 12क की सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('सि.प्र.स.') की धारा 151 के तहत प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व-संस्था मध्यस्थता के अभाव में वादपत्र की वापसी की मांग की गई थी।

1.1. वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता प्रतिवादी सं. 1 और प्रत्यर्थी सं. 1 वादी है।

1.2. वादी द्वारा दिनांक 13.03.2019 को 1,97,49,334/- रुपए की वादकालीन राशि और 18% प्रतिवर्ष की दर से भविष्य के ब्याज सहित वसूली हेतु वाद दायर किया गया है। यह वाद आदेश XXXVIII नियम 5 सि.प्र.स. के तहत एक आवेदन के साथ दायर किया गया था, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 को वाणिज्यिक न्यायालय में वाद की राशि जमा करने के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वादी को प्रतिवादीगण द्वारा संपत्ति की हेराफेरी की आशंका है।

1.3. मामला दिनांक 20.04.2023 (4 साल बाद) को मुद्दे तय करने हेतु वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष तय किया गया था, जब उक्त न्यायालय ने ध्यान दिया कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा 2015 के अधिनियम की धारा 12क के

तहत दिनांक 23.03.2019 को दायर एक आवेदन, जिसमें पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता के जनादेश को समाप्त करने के लिए वाद की वापसी की मांग की गई थी, लंबित था ('उक्त आवेदन')। इसके बाद वाणिज्यिक न्यायालय ने मामले को उक्त आवेदन पर बहस के लिए और साथ ही उक्त आवेदन पर वादी के जवाब हेतु सूचीबद्ध किया।

1.4. वाणिज्यिक न्यायालय ने दिनांक 04.08.2023 के आदेश द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।

2. याचिकाकर्ता अर्थात प्रतिवादी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि 2015 के अधिनियम की धारा 12क वादी के लिए ऐसे वाद में पूर्व-संस्था मध्यस्थता के उपाय को समाप्त करना अनिवार्य बनाती है जो किसी भी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार नहीं करता है।

2.1. वह कहती है कि प्रत्यर्थी सं. 1 अर्थात वादी का वाद पूर्व-संस्था मध्यस्थता के उपचार को समाप्त किए बिना दायर किया गया था और वादपत्र का अवलोकन किसी भी तत्काल राहत पर विचार नहीं करता है और इसलिए 2015 के अधिनियम की धारा 12-क के तहत प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दायर आवेदन को वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए थी।

2.2. उनका कहना है कि तत्काल राहत की मांग करने वाले वादी द्वारा आदेश XXXVIII के नियम 5 सि.प्र.स. के तहत एक आवेदन दाखिल करना 2015 के अधिनियम की धारा 12-क के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

2.3. वह कहती हैं कि ***पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम राखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, (2022) 10 एससीसी 1*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि इस उच्च न्यायालय ने कई मामलों में अभिनिर्धारित किया है कि 2015 के अधिनियम की धारा 12क अनिवार्य है, विचारण न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि 2015 के अधिनियम की धारा 12क दिनांक 22.08.2022 के बाद ही अनिवार्य थी।

2.4. इसके अलावा, वह ***यामिनी मनोहर बनाम टीकेडी कीर्ति, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1382*** और अधिक विशेष रूप से पैराग्राफ 10 में उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णय पर भरोसा करती है कि चूंकि वर्तमान मामले के तथ्यों में, वादी को कोई तत्काल अंतरिम राहत नहीं दी गई है, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आदेश XXXVIII नियम 5 सि.प्र.स. के तहत उक्त आवेदन वादी द्वारा पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता के वैधानिक अध्यादेश को खारिज करने के लिए अपनाया गया एक छद्म रूप था।

2.5. वह इस मामले के तथ्यों में कहती हैं, विचारण न्यायालय को इस क्षति की जाँच करनी चाहिए थी आदेश VII नियम 11, सि.प्र.स. के तहत अपने

क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए वादी को 2015 के अधिनियम के अनुसार पूर्व-मुकदमे मध्यस्थता के वैधानिक अध्यादेश का पालन करने के निर्देश सहित वादपत्र को वापस कर दिया।

3. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है। निम्नलिखित तथ्यों को अभिलेख में स्वीकार किया गया है:

i. वसूली के लिए वाणिज्यिक वाद दिनांक 13.03.2019 को स्थापित किया गया था।

ii. प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 18.03.2019 को उक्त वाणिज्यिक वाद का सम्मन जारी किया गया था।

iii. प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 23.03.2019 को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12-क का अनुपालन न होने के कारण वादपत्र की वापसी की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 21.05.2019 को अपना लिखित बयान दाखिल किया।

iv. वादपत्र की वापसी के लिए दायर प्रतिवादी सं. 1 का आवेदन 2019-2023 (4 वर्षों के लिए) के बीच लंबित रहा और उक्त प्रतिवादी द्वारा सुनवाई के लिए दबाव नहीं डाला गया।

v. दिनांक 07.11.2022 के अंतराल में, पक्षकारगण को सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना हेतु मध्यस्थता केंद्र, द्वारका भेजा गया, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला।

vi. इसके बाद, दिनांक 20.04.2023 को, जब मामला विचारण न्यायालय के समक्ष मुद्दे तय करने हेतु सूचीबद्ध किया गया था, तो यह विद्वान विचारण न्यायालय था जिसने अभिलेख के अवलोकन पर उक्त आवेदन की लंबितता पर ध्यान दिया और वादी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए बुलाया; और इन्हीं परिस्थितियों में उक्त आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई और निपटान के लिए लिया गया था।

4. उपरोक्त परिस्थितियों में विचारण न्यायालय ने 2015 के अधिनियम की धारा 12-क के तहत दायर उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> *"……*
>
> *……*
>
> ***5.*** *सि.प्र.स. के आदेश 38 नियम 5 के तहत वादपत्र के साथ दायर किया गया आवेदन इस संबंध में तात्कालिकता पर विचार करते हुए अभिलेख पर वादी द्वारा दायर वाद का हिस्सा था,* ***केवल इसलिए कि वादपत्र में कोई उल्लेख नहीं था क्योंकि तत्काल राहत की मांग करने वाला आवेदन अलग से दायर किया गया था। यह नहीं कहा जा सकता कि वादी ने मामले में तत्काल राहत की मांग नहीं की, जो***

<u>कि पूर्व-संस्था मध्यस्थता कार्यवाही से छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। न्यायालय तत्काल अंतरिम राहत के अनुरोध को स्वीकार कर सकता है या नहीं कर सकता है या इसे अत्यावश्यकता मान सकता है या नहीं भी, इस पर बाद में विचार किया जाएगा।</u> *वर्तमान मामले में, वादी के साथ सि.प्र.स. के आदेश 38 नियम 5 के तहत आवेदन दायर किया गया था। प्रतिवादीगण के उपस्थित होने के बाद, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से सि.प्र.स. की धारा 151 की सहपठित धारा 12-क के तहत आवेदन दायर किया गया था। मामले को प्रतिवादी सं. 1 की ओर से इस सवाल पर बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया कि क्या निर्णय से पहले कुर्की के लिए आवेदन लंबित होने के बावजूद, पूर्व-संस्था मध्यस्थता कार्यवाही का सहारा लिया जा सकता है।* ***<u>बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.05.2019 तक इस आवेदन पर बहस नहीं की गई, जैसा कि अभिलेख से पता चलता है।</u>*** *इसके बाद, प्रतिवादियों के अधिवक्ता बदल दिए गए और अभिलेख पर नया वकालतनामा दाखिल किया गया।* ***<u>इसके बाद धारा 12-क के तहत आवेदन पर जोर नहीं दिया गया और मामला मुद्दों को तैयार करने के चरण तक पहुंच गया जब इस न्यायालय के पूर्ववर्ती विद्वान ने सि.प्र.स. की धारा 12-क के तहत लंबित आवेदन के संबंध में ध्यान दिया और आवेदन को उत्तर और तर्क हेतु रखा।</u>***

6. मैसर्स ***पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम राखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड,*** *(पूर्वोक्त) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया था कि पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता के संबंध में प्रावधान अर्थात अधिनियम की धारा 12-क अनिवार्य है और धारा 12 क के आदेश का*

उल्लंघन करने वाले किसी भी वाद को सि.प्र.स. के आदेश 7 नियम 11 के तहत वादपत्र की अस्वीकृति सहित देखा जाना चाहिए। ***जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान से भी किया जा सकता है, लेकिन यह घोषणा दिनांक 20.08.2022 से प्रभावी मानी गई ताकि संबंधित हितधारकों को पर्याप्त रूप से सूचित किया जा सके।***

7. अभिलेख के अनुसार तात्कालिक मामला वर्ष 2019 में दायर किया गया था। इसलिए, इस तथ्य के अतिरिक्त कि मामले में तत्काल राहत की मांग करने वाला आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को देखते हुए दायर किया गया था कि ***घोषणा दिनांक 20.08.2022 से प्रभावी होगी, वर्तमान याचिका वापसी या अस्वीकृति के लायक नहीं है।*** *यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि मामले के लंबित रहने के दौरान, मामले को सौहार्दपूर्ण समाधान की संभावना हेतु मध्यस्थता केंद्र, द्वारका में भेजा गया था,* ***जिसका कोई नतीजा नहीं निकला*** *और अब मामला योग्यता के आधार पर निपटान हेतु न्यायालय के समक्ष लंबित है, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, धारा 12-क के तहत आवेदन खारिज कर दिया जाता है।"*

(जोर दिया गया)

5. वर्तमान मामले में, माना जाता है कि वाद 13.03.2019 को शुरू किया गया था और आदेश XXXVIII नियम 5 सि.प्र.स. के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें तत्काल अंतरिम राहत वादपत्र की मांग की गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वाद वर्ष 2019 में दायर किया गया था, विचारण न्यायालय ने सही कहा कि ***मैसर्स पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड***

(पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा दिनांक 20.08.2022 से प्रभावी है और वर्तमान वादपत्र वापसी या अस्वीकृति के लायक नहीं है.

6. ***यामिनी मनोहर*** (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अल्पकालिक चरण में अंतरिम राहत न देना और यहां तक कि नोटिस जारी होने के बाद अंतरिम राहत को अस्वीकार करना सि.प्र.स. के आदेश VII नियम 11 के तहत वाणिज्यिक वाद को खारिज नहीं करता है। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> *"6. वर्तमान मामले में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि तत्काल अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की गई है और तत्काल अंतरिम राहत पर विचार करने वाले संतुष्ट हैं। इसलिए, शर्त यह है कि वादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 08.05.2023 के निर्णय/आदेश को खारिज कर दिया, जो जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) -01, दक्षिण जिला, साकेत, नई दिल्ली के दिनांक 06.02.2023 के आदेश को बरकरार रखता है, जिसमें संहिता के आदेश VII, नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया है, सही और कानून के अनुसार है।*
>
> *XXX XXX XXX*
>
> *9. **हमारी राय है कि जब तत्काल अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना के साथ सीसी अधिनियम के तहत एक वाद दायर किया जाता है, तो वाणिज्यिक न्यायालय को वाद की प्रकृति और विषय वस्तु, कार्रवाई का कारण और अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की जाँच करनी चाहिए। तत्काल अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना वाणिज्यिक न्यायालय***

अधिनियम की धारा 12क से बचने और उससे छुटकारा पाने के लिए एक छद्म या मुखौटा नहीं होनी चाहिए। *वादी के दृष्टिकोण से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए।* ***अल्पकालीन चरण में अंतरिम राहत न देना, जब वादपत्र को पंजीकरण/प्रवेश और परीक्षण के लिए लिया जाता है, संहिता के आदेश VII, नियम 11 के तहत वाणिज्यिक वाद को खारिज करने का औचित्य नहीं होगा; कई बार नोटिस जारी होने के बाद अंतरिम राहत दी जाती है।*** *न ही संहिता के आदेश VII, नियम 11 के तहत वाद को खारिज किया जा सकता है, क्योंकि दलीलों के बाद अंतरिम राहत को तीन सिद्धांतों की जांच अर्थात् (i) प्रथम दृष्टया मामले, (ii) योग्यता के आधार पर और अपूरणीय क्षति और चोट पर, और (iii) सुविधा का संतुलन से वंचित किया जाता है।* ***तथ्य यह है कि न्यायालय ने नोटिस जारी किया और/या अंतरिम रोक लगा दी, यह संकेत दे सकता है कि न्यायालय वादपत्र पर विचार करने के लिए इच्छुक है।***

10. ऐसा कहने के बाद, इस विचार का समर्थन करना मुश्किल है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12क को निरर्थक बनाने के लिए वादी के पास तत्काल अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना करने का पूर्ण विकल्प और अधिकार है। जब बेईमानी और झूठ स्पष्ट या सिद्ध हो, तो पूर्व-मुकदमे मध्यस्थता के विधिक दायित्व को खारिज करने के प्रयासों की जांच की जानी चाहिए। ***यह प्रस्ताव कि वाणिज्यिक न्यायालयों की भूमिका सीमित है, स्वीकार किया जाना चाहिए, अन्यथा यह अकेले वादी पर निर्भर करेगा कि उसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12 क के तहत प्रक्रिया का सहारा लेना है या नहीं।*** *यदि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12 क के तहत*

पूर्व-संस्था मध्यस्थता अनिवार्य है, तो एक पूर्ण और निरंकुश अधिकार 'दृष्टिकोण' उचित नहीं है जैसा कि पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। ***<u>वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12 क (1) में किसी भी तत्काल अंतरिम राहत पर विचार करने वाले शब्दों को न्यायालय को संतुष्ट होने की शक्ति प्रदान करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। वे सुझाव देते हैं कि वाद का "चिंतन" किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वाद, दस्तावेजों और तथ्यों को और तत्काल अंतरिम राहत की आवश्यकता को दर्शाना और इसका संकेत देना चाहिए।</u>*** *यह सटीक और सीमित अभ्यास है जो वाणिज्यिक न्यायालय करेंगे, जिसकी रूपरेखा पहले आए पैराग्राफ (ओं) में दी गई है। यह नियंत्रण रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होगा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12 क के अधिनियमन के पीछे विधायी उद्देश्य/मंशा पराजित नहीं होती है।"*

(जोर दिया गया)

7. इस मामले के तथ्यों में, अभिलेख का अवलोकन करने के बाद विचारण न्यायालय की राय थी कि सि.प्र.स. के आदेश XXXVIII नियम 5 के तहत दिशा-निर्देश मांगने वाले एक आवेदन के साथ 2019 में वाद की स्थापना, 2015 के अधिनियम की धारा 12-क के अध्यादेश से छूट की मांग हेतु पर्याप्त तत्काल अंतरिम राहत पर विचार करती है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया है कि उक्त आवेदन पूर्व-मुकदमे मध्यस्थता के वैधानिक आदेश को खारिज करने हेतु एक छद्म था और इसलिए वादपत्र की वापसी की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय

का उक्त निष्कर्ष और इसके परिणामस्वरूप 2015 के अधिनियम की धारा 12-क के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन की अस्वीकृति उसके क्षेत्राधिकार में है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

8. इसलिए, इस न्यायालय को विचारण न्यायालय के आदेश में कोई खामी नहीं दिखती है जो इस न्यायालय द्वारा अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप की गारंटी देगा।

9. तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

10 नवंबर, 2023*/एम.एस.एच./एस.के.*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*